[2020] 8 एस.सी.आर. 997

नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या– 4116/2020) 22 सितंबर, 2020.
[न्यायमूर्तिगण– एस. ए. बोबड़े सी.जे.आई., ए. एस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमनियन]

बन्दी–महामारी–नया कोरोना वायरस(कोविड–19)–जेलों का विंसकुलन–सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति पर ध्यान दिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्वेच्छा से रिट याचिका (सिविल) संख्या–01/2020 दर्ज करी और उस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी के संबंध में परामर्शी जारी करने के लिए, दिये गये निर्णय का भी उल्लेख किया है–न्यायालय ने निर्देशित किया कि यह निर्धारित करने के लिए कि किस वर्ग के बन्दी पैरोल या अन्तरिम जमानत पर उचित अवधि के लिए रिहा किये जा सकते हैं, प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश एक उच्चाधिकार समिति(एचपीसी) का गठन करेगा–दिशानिर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में जेलों के संबंध में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया–दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति ने जेलों के बंदियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है– (1) विचाराधीन बन्दी/दोषसिद्ध व्यक्ति जिनके मुकदमें का विचारण चल रहा हैं या जिन्हें अधिकतम 7 साल या उससे कम की सजा के लिए दोषसिद्ध किया गया है, (2) दोषसिद्ध व्यक्ति जिनकी सजा 7 साल से अधिक है और (3) विचाराधीन बन्दी या दौषसिद्ध व्यक्ति जिनपर गंभीर आर्थिक अपराधों /बैंक घोटाले और विशेष अधिनियमों जैसे कि मकोका , पीएमएलए आदि के तहत आरोप लगाए जाते हैं– याचिकाकर्ताओं ने वर्गीकरण में भेदभाव का आरोप लगाया–उच्च न्यायालय ने कहा कि एचपीसी के निर्णय में, आदेश के अनुच्छेद 36 में की गयी टिप्पणियों की सीमा को छोड़कर, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है– अपील पर मत आया कि: उक्त वर्गीकरण को अनुचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि पहली बार में, वर्गीकरण अंतरिम जमानत देने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक है यदि ऐसा विचाराधीन/दोषसिद्ध व्यक्ति एचपीसी द्वारा लिए गए इस तरह के निर्णय के अनुसार जारी अधिसूचना का लाभ लेने पर विशुद्ध रुप से जमानत की मांग कर रहा है– किए गए अपवर्जन का एक उचित आधार है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है–अंतरिम जमानत देने के लिए वर्तमान पद्धति अभूतपूर्व परिस्थिति में अति संकुलता से बचने के आशय से है और वर्तमान परिस्थितियों में जमानत देना ऐसे व्यक्तियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है –उस परिस्थिति में कुछ श्रेणियों को छोड़कर , एच.पी.सी. द्वारा जो कटौती की गई है, वह केवल कुछ श्रेणी के जेल बन्दियों को लाभ से वंचित करने की दृष्टि से है, जिनपर गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, जो बड़े पैमाने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। हालांकि जो सजा दी जा सकती है, उसकी अवधि कम हो सकती है–ऐसे व्यक्ति जोकि विशेष अधिनियम या किसी घटना में 7 साल से अधिक की सजा से दोषी हैं, वो अन्यथा सामान्य परिस्थिति में जमानत के लिए हकदार नहीं है, तो भी कानून के अनुसार जमानत ले सकते हैं–एस.पी.सी. ने उन्हें जिससे इन्कार किया है, वह यह है कि वे अंतरिम जमानत का लाभ केवल इस आधार पर नहीं उठा सकते कि वे कोविड –19 की स्थिति के दृष्टिगत जमानत पर रिहा किये जाने के हकदार हैं और अन्य कानूनी अधिकार से इन्कार नहीं किया गया है –उच्च न्यायालय को तद्नुसार इसके निष्कर्ष में उचित ठहराया गया था।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट नें मत दिया किः

1. प्रत्येक राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को एक उच्चाधिकार समिति का गठन करने का निर्देश देने का उद्देश्य यह है कि एचपीसी जोकि ऐसे राज्यों की मौजूदा स्थिति पर ध्यान रख रहा है, इस मामले में निर्णय लेगा क्योंकि एचपीसी के पास सभी विवरणों को सुरक्षित करने व निर्णय लेने का उपाय होगा। यदि उक्त पहलू को ध्यान में रखा जाए, तो यह देखा गया है कि दिनांक–25.03.2020 के दिशानिर्देशों द्वारा प्रश्नगत समिति नें विचाराधीन/दोषसिद्ध व्यक्तियों को अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया है, जोकि प्रक्रिया की गंभीरता को ध्यान में रखेगी। उस सम्बन्ध में, विचाराधीन/दोषसिद्ध व्यक्ति को सामान्य कानून, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् , श्रेणी (i)– 7 साल से कम की सजा और श्रेणी–(ii) 7 साल से अधिक की सजा के रुप में, ताकि विचार उसी तरीके से हो सके। समिति नें विचाराधीन/दोषसिद्ध व्यक्ति जोकि विशेष अधिनियम के तहत किसी भी अवधि की सजा से दण्डनीय हैं , को वर्गीकृत करने का सोचा, इस तथ्य के बावजूद कि अधिरोपित सजा 7 साल से कम हो सकती है। उस सम्बन्ध में एचपीसी ने जो मापा, वह यह था कि इस तरह के अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जमानत पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ–साथ अतिरिक्त प्रतिबंध प्रदान करते है। इस न्यायालय के मद्देनज़र उक्त वर्गीकरण को प्रथम दृष्टया अनुचित नहीं माना जा सकता है। यदि विचाराधीन/दोषसिद्ध व्यक्ति एचपीसी द्वारा लिये गये इस तरह के निर्णय के लिए जारी अधिसूचना का लाभ लेने हेतु विशुद्ध रुप से जमानत की मांग कर रहा है तो न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत देने के लिए वर्गीकरण के आधार पर विचार किया जा सकता है। अपवर्जन का एक उचित आधार है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

2. जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है कि अंतरिम जमानत देने की वर्तमान पद्धति अभूतपूर्व परिस्थिति में भीड़भाड़ से बचने के इरादे से है और वर्तमान परिस्थितियों में जमानत देना, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। उस परिस्थिति में, एचपीसी द्वारा कुछ श्रेणियों को बाहर करके जो कटौती की गई है, वह केवल जेल के कुछ ऐसे निश्चित श्रेणी के बंदियों को लाभ से वंचित करने की दृष्टि से है, जिनपर गंभीर अपराधों का आरोप है, जिसका समाज पर बड़े पैमाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भले ही सजा की अवधि जो अधिरोपित की जा सकती है वह कम ही क्यों न हो। ऐसे व्यक्ति जिनपर विशेष अधिनियमों के तहत आरोप लगाया गया है या जिन्हें किसी भी घटना में 7 साल से अधिक की अवधि के लिए दोषी ठहराया गया है, यदि वे अन्यथा सामान्य परिस्थिति में जमानत के हकदार नहीं हैं, तब भी कानूनन जमानत की मांग कर सकते हैं और महामारी को आकस्मिक परिस्थिति मानते हुए समान व्यवहार का दावा करके उन परिस्थितियों में जमानत नहीं ले सकते जिसके वे अन्यथा कानूनन हकदार नहीं है। एचपीसी ने उन्हें केवल इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगने का लाभ देने से इनकार किया है कि वे कोविड–19 स्थिति के मद्देनजर जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं और किसी अन्य कानूनी अधिकार से इनकार नहीं किया गया है। इसलिए, ऐसी परिस्थिति में जहां जमानत के लिए प्रावधान किसी क़ानून के तहत प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर उपलब्ध कराया गया है और आगे, जब एचपीसी के पास सभी सामग्री थी, एक ज्ञात मानदंड तैयार किया गया, ऐसे में वर्तमान प्रकृति की याचिका में, किसी भी घटनाक्रम में, हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं होता और उच्च न्यायालय तद्नुसार अपने निष्कर्ष में उचित था।

3. ऐसा कहने के बाद यह इंगित करना आवश्यक है कि किसी विचाराधीन व्यक्ति/दोषसिद्ध बंदी के लिए शिकायत का कारण केवल तभी उत्पन्न हो सकता है, जब ऐसे व्यक्ति को उसी श्रेणी के बंदी के साथ भेदभाव किया गया हो, जिसके लिए एचपीसी ने वर्गीकरण द्वारा लाभ प्रदान किया है। जेलों में अतिसंकुलन कम करने के

इरादे के अलावा, पहले कदम के रूप में, विवादित दिशानिर्देश जिनको त्रुटिहीन माना गया, के आधार पर बंदियों की रिहाई की गयी। यदि, वर्तमान में बनाई गई श्रेणियों में विचाराधीन /दोषसिद्ध बंदियों की रिहाई के बावजूद उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है और अतिरिक्त जेलों की स्थापना भी पर्याप्त नहीं होती है और उस संदर्भ में यदि एचपीसी द्वारा बनाई गई श्रेणियों के संबंध में कोई संशोधन आवश्यक है तो निश्चित रूप से एचपीसी के लिए यह विकल्प होगा कि वह इस पर ध्यान दे और उस संबंध में मष्तिश्क का प्रयोग करते हुए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करे।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार ए.आई.आ (39)
1952 एस.सी. 75: [1952] एस.सी.आर. और अन्य बनाम
भारत संघ और अन्य (2007) 1 एस.सी.सी. 732 : [2006] 6
सप्प. एस.सी.आर. 290; के.आर. लक्ष्मण और अन्य बनाम कर्नाटक
इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड (2001) 1 एस.सी.सी. 442 : [2000] 5 सप्प.
एस.सी.आर 535– संदर्भित किये गये।
निर्णय के संदर्भ।

[1952] एस.सी.आर.284 में अनुच्छेद 8, [2006] 6 सप्प, एस.सी.आर.290 में अनुच्छेद 8, [2000] 5 सप्प, एस.सी.आर. 535 में अनुच्छेद 8 सन्दर्भित किए गए।

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं–4116/2020

उच्च न्यायालय, बंबई में पी.आई.एल.–सी.जे.–एल.डी–वी.सी–संख्या–44/2020 के निर्णय व आदेश दिनांकित–05.08.2020 से।

एस.बी. तालेकर, पी.बी. सुरेश, विपिन नायर, कार्थिक जयाशंकर, सुघोष सुब्रमण्यम, सुश्री माधवी अयप्पन, उपस्थित पक्षकारों की ओर से अधिवक्तागण।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:

निर्णय

1. यहां याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय, बंबई के समक्ष जनहित में (पीआईएल–सीजे–एलडी–वीसी संख्या 44/2020) प्रस्तुत हुए। याचिकाकर्ता द्वारा मांग की गयी कि उच्चाधिकार समिति (संक्षेप में 'एचपीसी') के निर्णय दिनांकित–25.03.2020, जोकि अनुच्छेद 8, खंड (iii), (iv) और (vii) की सीमा तक, एचपीसी की बैठक दिनांकित–11.05.2020 का निर्णय/बैठक के कार्यवृत्त जिसमें अंतरिम जमानत हेतु, कुछ श्रेणी के अपराधों को निष्कासित किया गया है जोकि अनुच्छेद 5(i) और 5(II) में दिये गये हैं। एचपीसी की दिनांक 18.05.2020 की बैठक के कार्यवृत्त का शुद्धिपत्र 11.05.2020 को स्पष्टीकरण की सीमा तक कि एचपीसी द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए निर्धारित अपराधों की श्रेणी और/या श्रेणी को उस श्रेणी या वर्ग में आने वाले बंदियों की अनिवार्य रिहाई के लिए इसके द्वारा दिए गए निर्देश के रूप में नहीं पढ़ा जाएगा और एक और स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसे बंदियों की अस्थायी रिहाई पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक बंदी के मामले को पृथक मामले के तौर पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि आजीवन कारावास की सजा पाए बंदियों को बिना इस बात के रिहा किया जाए कि उन्हें पहले भी कम से कम दो बार फरलो या पैरोल पर रिहा किया गया है।

2. उच्च न्यायालय विस्तृत विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि एचपीसी के निर्णय में आदेश के अनुच्छेद 36 में की गई टिप्पणियों की सीमा को छोड़कर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, व्यथित होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गयी हैं।

3. हमने याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिका पत्रों का अवलोकन किया है।

4. हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा एक विस्तृत विचार किया गया है, जिसके तहत खण्डपीठ के विद्वान न्यायाधीशगण द्वारा अलग-अलग सहमति के कारण दिए गए हैं। यह ध्यान देना आवश्यक है कि वर्तमान मुद्दा नवीन कोरोना वायरस (कोविड 19) के कारण उत्पन्न हुई महामारी की अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण, केवल अंतरिम जमानत/पैराल/फरलो देने के सीमित दायरे पर उत्पन्न हुआ है, जिसके लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के इरादे से जेलों में भीड़ कम करने की आवश्यकता है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। उस परिस्थिति में, इस न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (सिविल) संख्या 1/2020 दर्ज की और महामारी पर ध्यान दिया और उस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी के संबंध में एक सलाह जारी करने के निर्णय का भी उल्लेख किया। उस पृष्ठभूमि में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में 1339 जेलें हैं और ऐसी जेलों में लगभग 4,66,084 कैदी बंद हैं, वहां अधिभोग दर ज्यादा है और इसलिए, जेलों को अत्यधिक अतिसंकुलित मानते हुए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं ताकि भीड़ कम की जा सके और सामाजिक दूरी बनी रहे।

5. सबसे पहले इस न्यायालय ने दिनांक 16.03.2020 के आदेश के माध्यम से इस संबंध में सभी हितधारकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया ताकि सभी जेलों में बंदियों और प्रतिप्रेक्षण गृह में रहने वाले किशोरों की चिकित्सीय सहायता के लिए तत्काल उपाय सुझाए जा सकें जिनको अपनाकर उनके स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा की जा सके। इसके बाद, दिनांक 20.03.2020 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

"हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, यह निर्धारित करने के लिए कि किस वर्ग के बंदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर उचित अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है, एक उच्चाधिकार समिति का गठन करेगा जिसमें (i) राज्य विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, (ii) प्रमुख सचिव (गृह/जेल) चाहे वह किसी भी पदनाम से जाने जाते हों, (iii) जेल के महानिदेशक शामिल होंगे। उदाहरण के लिए, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश उन बंदियों की रिहाई पर विचार कर सकते हैं जो उन अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं या विचाराधीन बन्दी हैं जिनके लिए निर्धारित सजा, जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के, 7 साल या उससे कम है और बन्दी को अधिकतम सजा से कम वर्ष की सजा से दोषसिद्ध किया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उन बंदियों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए हम उच्चाधिकार समिति को छूट प्रदान करते हैं, जिन्हें अपराध की प्रकृति,कितने वर्षों की सजा सुनाई गई है या उस सजा की गंभीरता जिसके लिए वह आरोपित किया गया है और वह विचारण का सामना कर रहा है या अन्य कोई प्रासंगिक कारण जिसे समिति उचित समझे, के आधार पर रिहा किया जाना चाहिए।"

6. निर्देश के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य की जेल, जिस राज्य के संबंध में वर्तमान मुद्दा उठा है, के संबंध में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है। एचपीसी ने विचार-विमर्श करके दिनांक 25.03.2020 को अपनी बैठक में तैयार किए गए दिशानिर्देश जारी किए। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने 08.05.2020 को इसे अधिसूचित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति ने जेलों में बंदियों को विस्तृत रुप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अर्थात (i) विचाराधीन बंदी/दोषसिद्ध व्यक्ति जो मुकदमे का सामना कर रहे हैं या अधिकतम 7 साल या उससे कम सजा के लिए दोषी ठहराए गए हैं, (ii) ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति जिनकी सजा 7 साल से अधिक

है और (iii) विचाराधीन बंदी या दोषसिद्ध व्यक्ति जिन पर गंभीर आर्थिक अपराध /बैंक घोटाले और विशेष अधिनियम जैसे एमसीओसी, पीएमएलए, एमपीआईडी, एनडीपीएस, यूएपीए आदि के तहत मामला दर्ज किया गया है।

7. इस प्रकार, जेल के बंदियों को इस आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए, ऐसी स्थिति में, अंतरिम जमानत देने के लिए उनके मामले पर विचार करते समय 'अपराध की प्रकृति' और 'अपराध की गंभीरता' को मानदंड के रूप में अपनाने का संकेत दिया गया है। याचिकाकर्तागण ने उक्त दिशानिर्देशों पर धावा बोलते हुए, वर्गीकरण में भेदभाव और 7 साल से अधिक की सजा के लिए दोषी व्यक्तियों के संबंध में पहले रिहाई की शर्त लगाने में अनुचितता का आरोप लगाया है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि वास्तव में इस न्यायालय ने दिनांक 23.03.2020 के आदेश द्वारा विमर्श के उद्देश्य से इस तरह के व्यापक वर्गीकरण की अनुमति दी।

8. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्कों और उद्धृत निर्णयों पर हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने वास्तव में इसपर उचित ध्यान दिया है और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई त्रुटि नहीं की है। इस संबंध में हमने देखा है कि उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (एआईआर (39) 1952 एससी 75), अरुण कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उचित उल्लेख किया है। भारत एवं अन्य (2007) 1 एससीसी 732 और केआर लक्ष्मण एवं अन्य बनाम कर्नाटक बिजली बोर्ड (2001) 1 एससीसी 442 जिसमें उन परिस्थितियों पर विस्तार से विचार किया गया है जहाँ संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण का मतलब बर्ताव की समानता या अमूर्त समरूपता नहीं है और उचित वर्गीकरण की अनुमति है। उस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने एचपीसी द्वारा किए गए वर्गीकरण को मंजूरी देते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित 23.03.2020 के आदेश के आशय को सही परिप्रेक्ष्य में समझा है।

9. ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों के अलावा, हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ऐसी अंतरिम जमानत का दावा करने का पूरा अधिकार महामारी की अभूतपूर्व परिस्थिति में उत्पन्न हुआ है और अंतरिम जमानत पर विचार, अन्य कानूनी विचारों के आधार पर जमानत के वैधानिक अधिकार की प्रकृति में नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मानव अधिकार की प्रकृति में है। किसी भी मामले में कानून में अन्यथा प्रदान किए गए जमानत के प्रावधान पर सक्षम अदालत द्वारा विचार किया जाएगा यदि जमानत के लिए ऐसा अधिकार सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया गया है, भले ही महामारी हो या नहीं। वर्तमान विकल्प केवल अतिसंकुलन कम करने और वायरस के प्रसार से बचने के समाधान के रूप में है। साथ ही, ऐसी परिस्थिति में दिया गया लाभ अपराध की गंभीरता आदि के आधार पर किए जाने वाले वर्गीकरण के बावजूद सभी श्रेणियों के बंदियों को रिहा करके सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से रिट याचिका में पारित आदेश ही वर्तमान दावे की उत्पत्ति का कारण है जिससे संतुलन स्थापित किया गया। जैसा कि आदेश (पूर्व में) के उद्धरित भाग से विदित है कि इस न्यायालय ने एचपीसी के गठन का निर्देश दिया था जिसमें एक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे ताकि प्रत्येक राज्य में उत्पन्न हो रही परिस्थिति के आधार पर उचित वर्गीकरण किया जा सके। इसके अलावा, इस न्यायालय का आशय यह नहीं था कि प्रत्येक विचाराधीन या दोषसिद्ध बंदी को अपराध की प्रकृति या उसकी गंभीरता के बावजूद रिहा कर दिया जाए। यह विचार जेलों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से था ताकि वायरस के प्रसार से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके। उस परिस्थिति में जेल में बंदियों की संख्या, वायरस के प्रसार, उपलब्ध बुनियादी ढांचे और भीड़ कम करने के लिए निश्चित संख्या में बंदियों को रिहा

करने की आवश्यकता, यदि कोई हो, के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में महत्व निश्चित रूप से अलग–अलग होगा।

10. उपरोक्त उल्लिखित आशय इस न्यायालय द्वारा पारित अनुवर्ती आदेश दिनांकित – 13.04.2020 में प्रकट होता है, जो इस प्रकार है;

"हमें सूचित किया गया है कि बिहार राज्य ने जेलों के भीतर कोरोनो वायरस से पीड़ित मरीजों की अनुपस्थिति और जेलों में अतिसंकुलन न होने के कारण, बंदियों को रिहा करना उचित नहीं समझा है। इसके अलावा, एक मामले में तो एक बंदी की हत्या की खबर भी आई है, जिसे कहा गया है कि वह कोरोना वायरस से पीड़ित था। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी–अपनी जेलों से बंदियों को अनिवार्य रूप से रिहा करने का निर्देश नहीं दिया है। हमारे उपरोक्त आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य /केंद्र शासित प्रदेश, देश में वर्तमान महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए अपनी जेलों में स्थिति का आकलन करें और कुछ बंदियों को रिहा करें और इस उद्देश्य के लिए रिहा किए जाने वाले बंदियों की श्रेणी निर्धारित करें।"

11. प्रत्येक राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को एक उच्चाधिकार समिति का गठन करने का निर्देश देने का उद्देश्य यह है कि एचपीसी जोकि ऐसे राज्यों की मौजूदा स्थिति पर ध्यान रख रहा है, इस मामले में निर्णय लेगा क्योंकि एचपीसी के पास सभी विवरणों को सुरक्षित करने व निर्णय लेने का उपाय होगा। यदि उक्त पहलू को ध्यान में रखा जाए, तो यह देखा गया है कि दिनांक –25.03.2020 के दिशानिर्देशों द्वारा प्रश्नगत समिति नें विचाराधीन/दोषसिद्ध व्यक्तियों को अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि के अनुसार वर्गीकृत किया है, जोकि प्रक्रिया की गंभीरता को ध्यान में रखेगी। उस सम्बन्ध में, विचाराधीन/दोषसिद्ध व्यक्ति को सामान्य कानून, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् , श्रेणी (i)– 7 साल से कम की सजा और श्रेणी–(ii) 7 साल से अधिक की सजा के रुप में, ताकि विचार उसी तरीके से हो सके। समिति नें विचाराधीन/दोषसिद्ध व्यक्ति जोकि विशेष अधिनियम के तहत किसी भी अवधि की सजा से दण्डनीय हैं , को वर्गीकृत करने का सोचा, इस तथ्य के बावजूद कि अधिरोपित सजा 7 साल से कम हो सकती है। उस सम्बन्ध में एचपीसी ने जो मापा, वह यह था कि इस तरह के अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जमानत पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ–साथ अतिरिक्त प्रतिबंध प्रदान करते है। इस न्यायालय के मद्देनज़र उक्त वर्गीकरण को प्रथम दृष्टया अनुचित नहीं माना जा सकता है। यदि विचाराधीन /दोषसिद्ध व्यक्ति एचपीसी द्वारा लिये गये इस तरह के निर्णय के लिए जारी अधिसूचना का लाभ लेने हेतु विशुद्ध रुप से जमानत की मांग कर रहा है तो न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत देने के लिए वर्गीकरण के आधार पर विचार किया जा सकता है। अपवर्जन का एक उचित आधार है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

12. जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है कि अंतरिम जमानत देने की वर्तमान पद्धति अभूतपूर्व परिस्थिति में अति संकुलता से बचने के इरादे से है और वर्तमान परिस्थितियों में जमानत देना , ऐसे व्यक्तियों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है। उस परिस्थिति में, एचपीसी द्वारा कुछ श्रेणियों को बाहर करके जो कटौती की गई है, वह केवल जेल के कुछ ऐसे निश्चित श्रेणी के बंदियों को लाभ से वंचित करने की दृष्टि से है, जिनपर गंभीर अपराधों का आरोप है, जिसका समाज पर बड़े पैमाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भले ही सजा की अवधि जो अधिरोपित की जा सकती है वह कम ही क्यों न हो। ऐसे व्यक्ति जिनपर विशेष अधिनियमों के तहत आरोप लगाया गया है या जिन्हें किसी भी घटना में 7 साल से अधिक की अवधि के लिए दोषी ठहराया गया है, यदि वे अन्यथा सामान्य परिस्थिति में जमानत के हकदार नहीं हैं, तब भी कानूनन जमानत की मांग कर सकते हैं और महामारी को आकस्मिक परिस्थिति मानते हुए समान व्यवहार का दावा करके उन परिस्थितियों में जमानत नहीं

ले सकते जिसके वे अन्यथा कानूनन हकदार नहीं है। एचपीसी ने उन्हें केवल इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगने का लाभ देने से इनकार किया है कि वे कोविड–19 स्थिति के मद्देनजर जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं और किसी अन्य कानूनी अधिकार से इनकार नहीं किया गया है। इसलिए, ऐसी परिस्थिति में जहां जमानत के लिए प्रावधान किसी क़ानून के तहत प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर उपलब्ध कराया गया है और आगे, जब एचपीसी के पास सभी सामग्री थी, एक ज्ञात मानदंड तैयार किया गया, ऐसे में वर्तमान प्रकृति की याचिका में, किसी भी घटनाक्रम में, हस्तक्षेप उत्पन्न नहीं होता और उच्च न्यायालय तद्नुसार अपने निष्कर्ष में उचित था।

13. इसके अलावा, अति संकुलता से बचने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत पर विचार करने का आदेश दिया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति पर ध्यान दिया है कि 24.07.2020 तक, प्रस्तुत विवरण के अनुसार, 10338 बंदियों को अंतरिम जमानत/पैरोल पर रिहा किया गया और वर्तमान में 26,279 बंदी जेल में हैं। चूंकि याचिकाकर्तागण की ओर से यह तर्क दिया गया कि आधिकारिक क्षमता केवल 23,217 है, राज्य सरकार ने संकेत दिया था कि 36 स्थानों पर अस्थायी जेलें स्थापित की गई हैं और लगभग 2597 बंदी अब तक वहां रह रहे हैं और मौजूदा जेलों में अति संकुलता से बचने के लिए और अधिक बंदियों को स्थानांतरित किया जाएगा। यह दर्शाता है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

14. ऐसा कहने के बाद यह इंगित करना आवश्यक है कि किसी विचाराधीन व्यक्ति/दोषसिद्ध बंदी के लिए शिकायत का कारण केवल तभी उत्पन्न हो सकता है, जब ऐसे व्यक्ति को उसी श्रेणी के बंदी के साथ भेदभाव किया गया हो, जिसके लिए एचपीसी ने वर्गीकरण द्वारा लाभ प्रदान किया है। जेलों में अति संकुलता को कम करने के इरादे के अलावा, पहले कदम के रूप में, विवादित दिशानिर्देश जिनको त्रुटिहीन माना गया, के आधार पर बंदियों की रिहाई की गयी। यदि, वर्तमान में बनाई गई श्रेणियों में विचाराधीन/दोषसिद्ध बंदियों की रिहाई के बावजूद उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है और अतिरिक्त जेलों की स्थापना भी पर्याप्त नहीं होती है और उस संदर्भ में यदि एचपीसी द्वारा बनाई गई श्रेणियों के संबंध में कोई संशोधन आवश्यक है तो निश्चित रूप से एचपीसी के लिए यह विकल्प होगा कि वह इस पर ध्यान दे और उस संबंध में मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करे।

15. इसलिए, याचिकाकर्तागण आवश्यक आँकड़े प्राप्त कर सकते है और यदि भविष्य में दिशानिर्देशों में कोई संशोधन आवश्यक पाया जाता है तो वे एचपीसी को एक उचित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे जोकि उस परिस्थिति में इस पर गौर करेगी और आवश्यकता के आधार पर या अन्यथा अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए अपने विवेक से किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। उस दृष्टिकोण से, हमारी राय है कि जब केवल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह का तथ्यात्मक विचार आवश्यक है और एचपीसी का गठन इसी उद्देश्य के लिए किया गया है, तो मानदंडों को बदलने के लिए वर्तमान प्रकृति की न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि वह इतना मनमाना न हो कि कोई भी उचित व्यक्ति उसे स्वीकार न कर सके। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जहां समान श्रेणी व एक समान बंदियों के बीच व्यक्तिगत भेदभाव किया जाता है तो वह व्यक्ति जोकि उपरोक्त लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था परन्तु उस लाभ देने से इन्कार किया गया हो, सक्षम न्यायालय के समक्ष शिकायत कर सकता है तथा सक्षम न्यायालय के पास उक्त के सम्बन्ध में सीमित परीक्षण करने का विकल्प होगा।

16. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, उपरोक्त याचिका खारिज की जाती है। हर्जे के संदर्भ में कोई आदेश नहीं दिया जाता। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, को निस्तारित किया जाता है।

अंकित ज्ञान

याचिका निरस्त।

-

अंकिता सिंह–II
अपर सिविल जज (अ०खं०)/ न्यायिक

मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं० –31,

सुलतानपुर।